

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश : जबलपुर

क्रमांक A/2016 / // आदेश //  
दो-14-105/17 जबलपुर, दिनांक 14/09/2020

श्री दीपक कुमार मालवीय, जुडिशियल असिस्टेंट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश खण्डपीठ इंदौर "जिन्हें रजिस्ट्री आदेश क्रमांक सी/1511/दो-14-105/17, जबलपुर दिनांक 27.03.2019 द्वारा उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश अधिकारी एवं कर्मचारी भर्ती एवं सेवा शर्त (वर्गीकरण, नियंत्रण, अपील तथा आचरण) नियम 1996 के नियम 20(ए) सहपठित मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 10(चार) के अंतर्गत उनकी आगामी देय दो वार्षिक वेतनवृद्धियां भविष्य की वेतनवृद्धियों को प्रभावित करते हुए (With Cumulative Effect) रोके जाने के दंड से दंडित किया गया था" के विरुद्ध प्रस्तुत अपील दिनांक 10.05.2019 को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुये पूर्व अधिरोपित शारित को संशोधित करते हुये एक वार्षिक वेतनवृद्धि भविष्य की वेतनवृद्धियों को अप्रभावित (Without Cumulative effect) करते हुये रोकी जाती है।

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय  
के आदेशानुसार

  
(राजन्द्र कुमार वाणी)  
रजिस्ट्रार जनरल

पृष्ठांकन क्रमांक A/2017 /  
दो-14-105/17 जबलपुर, दिनांक 14/09/2020

प्रतिलिपि :-

1. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय म.प्र. खण्डपीठ इंदौर, इंदौर, म.प्र.
2. रजिस्ट्रार प्रशा/आई.एल./न्यायिक 1 एवं 2, उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर,
3. ज्वाइंट रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
4. असिस्टेंट रजिस्ट्रार, (स्थापना), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
5. रजिस्ट्रार जनरल/प्रिंसिपल रजिस्ट्रार (न्यायिक) महोदय के निजी सचिव, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर
6. रजिस्ट्रार न्यायिक-1 महोदय के निजी सचिव, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर
7. एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर (जुडि.) स्था/लेखा/बजट/पेंशन, उच्च न्या. म.प्र. जबलपुर,
8. सहायक स्था./अवकाश/सेवापुरस्तिका/वेतनपत्रक, उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर,
9. दो अतिरिक्त प्रति सहित आफिस टायपिस्ट, उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर
- 10- श्री दीपक कुमार मालवीय, जुडिशियल असिस्टेंट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश खण्डपीठ इंदौर म.प्र. की ओर माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेश दिनांक 24.08.2020 की प्रतिलिपि सहित,

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

  
(दीपक बसल)  
रजिस्ट्रार (न्यायिक-1)